कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

171, पुराना मम्फोर्डगंज, प्रयागराज–211002

संख्या– 21369 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2021–2022
प्रयागराज : दिनांक : 09जनवरी, ,2021

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड व भांग की फुटकर बिकी की दुकानों तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा बीयर भांग के थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन और ब्राण्ड–लेबिल पंजीकरण/अनुमोदन हेतु आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के आदेश संख्या 03/2021/2828/155 ई–2/तेरह–2020–02/2020 दिनांक 08.01.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप्स व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा के थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1- देशी मदिरा

(1) वर्ष 2021-22 हेतु वर्ष 2020-21 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 7.5 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2021-22 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।

(3) देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की बेसिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये निर्धारित किया जाएगा।

(4) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 35.50 प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी. क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(5) वर्तमान में देशी मदिरा का निर्माण शीरे से निर्मित ई.एन.ए. से किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती एवं उच्च गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध कराने हेतु ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा अतिरिक्त रूप से अनुमन्य की गयी है। इस श्रेणी की मदिरा की यू.पी. मेड लिकर(UPML) नाम से बिक्री देशी मदिरा दुकानों से की जाएगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) की आपूर्ति असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रा पैक) में अनुमन्य होगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) पूर्णतया ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित होगी जिसकी तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी(मसाला) होगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) की उठान एम. जी.क्यू. के उठान में सम्मिलित होगी । यू.पी. मेड लिकर(UPML) का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति प्रदेश में स्थित आसवनियों द्वारा देशी मदिरा की भॉति सी.एल.-2 अनुज्ञापनों को की जायेगी। यू.पी. मेड लिकर(UPML) के लेबिलों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(6) वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित की गयी है। दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं होगा।

(8) वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी. रु.5/- के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष 2021-22 के लिये यथावत रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस और विशेष अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

(9) वर्ष 2020-21 की भॉति वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता(मसाला), 36 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा, मसाला) में मात्र 200 एम.एल. की धारिता वाली पेट बोतलों, असेप्टिक ब्रिक पैक् (टेट्रापैक) अथवा कांच की बोतलों में किया जाएगा।

2- <u>विदेशी मदिरा</u>

(1) विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा।

(2) वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी

मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) वर्ष 2020-21 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2021-22 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2020-21 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(4) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2020-21 में रु.50,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में निर्धारित थी जिसमें 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2021-22 हेतु रूपया 55,000/- निर्धारित किया जाता है।

(5) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2021-22 में रूपया 55,000/- लिया जाएगा।

(6) वर्ष 2021-22 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति वर्ष 2020-21 दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	**अनुज्ञापन का प्रकार**	**अनुज्ञापन का विवरण**	**वर्ष 2021-22 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)**	**वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**BWFL-2A**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	11.00	5.50
2.	**BWFL-2B**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	8.25	4.40
3.	**BWFL-2C**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.85	0.55
4.	**BWFL-2D**	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.55	0.275

(7) अन्य व्यवस्थायें:-

(क) गत वर्ष की भॉति यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो एक प्रार्थना-पत्र के साथ ही उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस ली जायेगी।

अन्य अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्डस, उनके लेबुलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन संपूर्ण प्रदेश हेतु उत्पादक, बॉटलिंग इकाई द्वारा एक बार ही कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण प्रदेश के लिये ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबिल अनुमोदन फीस एक ही बार देय होगी।

(ख) गत वर्ष की भॉति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2021-22 हेतु पंजीकरण फीस रु.50,000 प्रति वेयरहाउस रखा जाता है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस का वर्ष 2021-22 हेतु रूपया 50,000/- नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

(ग) नवीनीकृत बाण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020-21 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अनप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2021-22 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

(८) वर्ष 2021-22 से बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षो हेतु कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

(९) ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधानित किया जाता है।

3- <u>बीयर</u>

बीयर की फुटकर दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि न करते हुये इसे वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस के समान ही रखा जाता है।

4- <u>माडल शॉप्स</u>

मॉडल शॉप्स की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। गतवर्ष नवीनीकृत माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निर्धारण में यह प्रतिबंध था कि नवीनीकरण हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित माडल शाप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। उक्त प्रतिबंध से लाइसेंस फीस अधिक निर्धारित होने के कारण व्यवस्थापन में कठिनाई उत्पन्न हुई। अत: उपरोक्त प्राविधान को समाप्त किया जाता है।

5- प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1)वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर नवीनीकरण किया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर 7 कार्यदिवस के अंदर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समतुल्य होगी।

(2)वर्ष 2020-21 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया बारह लाख लाइसेंस फीस निर्धारित थी जिसे वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जाता है।

(3)प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम 700 रूपये या अधिक एम.आर.पी. की ब्राण्ड और बीयर के 160 रूपये प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या समतुल्य ब्राण्ड की बिक्री का प्राविधान है। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं की अनुमन्यता के संबंध में यह स्प्ष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर की प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर बिक्री हेतु अनुमन्य बीयर की न्यूनतम एम.आर.पी. रूपया 140/- प्रति 500 एम.एल. से निर्धारित होगी।

(4) वर्ष 2021-22 में निम्न प्राविधान किया जाता है:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय(एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) हवाई अड्डों पर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(iv) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर मदिरा सेवन संबंधी एक्सेसरीज़ जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी, की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

6- विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप में त्रैमासिक उठान की अनिवार्यता

(1) विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के संगत त्रैमासों के राजस्व के समतुल्य निकासी की अनिवार्यता है। लाकडाउन के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 में सभी फुटकर दुकानें बन्द रहने के कारण प्रथम त्रैमास के संगत समतुल्य राजस्व के आगणन में माह अप्रैल 2020 के स्थान पर माह अप्रैल 2019 के राजस्व को सम्मिलित किया जाएगा। माह अप्रैल 2019 में दुकान का संचालन न होने की स्थिति में प्रथम त्रैमास की शेष

अवधि के आधार पर गणना की जायेगी। यदि कोई विदेशी मदिरा, बीयर दुकान एवं माडल शाप वर्ष 2020-21 में मध्य सत्र में व्यवस्थित हुयी हो तब वर्ष 2020-21 की संचालन अवधि में ली गयी निकासी से तुलना की जायेगी।

(2) वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित बीयर की फुटकर दुकानों को वर्ष 2020-21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(3)वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित माडल शाप को वर्ष 2020-21 के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में गत वर्ष के संगत त्रैमास में दुकान पर ली गयी बीयर की निकासी में सन्नहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है।

(4)वर्ष 2020-21 में माडल शाप की त्रैमास की उठान अनिवार्यता हेतु विदेशी मदिरा एवं बीयर का पृथक पृथक समतुल्य उठान का प्राविधान था। विदेशी मदिरा एवं बीयर के पृथक-पृथक समतुल्य राजस्व उठान की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये बीयर एवं विदेशी मदिरा के कुल समतुल्य राजस्व उठान की अनिवार्यता की जाती है।

(5)विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप पर वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में गत वित्तीय वर्ष के संगत त्रैमास में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व के समतुल्य निकासी लिया जाना अनिवार्य है। उक्त प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में अगले त्रैमास की निकासी रोक दी जायेगी और संबंधित त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने एवं उक्त प्राविधान का पालन करने में विलम्ब के लिये निर्धारित प्रशमन धनराशि जमा करने पर अगले त्रैमास में निकासी की अनुमति दी जायेगी और अगले त्रैमास हेतु निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी त्रैमास तक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी। यदि उपरोक्तानुसार दुकान पर वार्षिक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ले ली जायेगी तब उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति उसे वापस कर दी जायेगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक यदि दुकान पर वार्षिक निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी लेने में अनुज्ञापी विफल रहता है तब उसके द्वारा जमा की गयी समस्त अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति में बकाया राजस्व का समायोजन किया जायेगा और शेष धनराशि वापस की जायेगी। यदि उक्त समायोजन के पश्चात भी राजस्व का बकाया रहता है तब इसकी नियमानुसार वसूली की जायेगी।

7- वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति एफ.एल.-2डी थोक अनुज्ञापनों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुये निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गयी है:-

(1) उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कस्टम बाण्ड वेयर हाउस को प्रदेश/अन्य प्रदेशों में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति करने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) प्रत्येक कस्टम बाण्ड वेयर हाउस को वार्षिक लाइसेंस फीस रूपया 4.00 लाख तथा प्रतिभूति रूपया 40,000/ जमा करना होगा।

(3) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन समाप्त होंगे। उत्तर प्रदेश में समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति ऐसे कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से ही की जा सकेगी जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों एवं पंजीकृत हों एवं उक्त ब्राण्ड की आपूर्ति हेतु अधिकृत हों।

(4) उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा अन्य प्रदेशों को समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से आनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से की जायेगी। अन्य प्रदेशों की आपूर्ति (कस्टम बाण्ड से अन्य कस्टम बाण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर रूपया 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(5) उत्तर प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस जिन्हें प्रदेश में आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदत्त है द्वारा प्रदेश के समस्त एफ.एल.-2, एफ.एल.-2ए एवं एफ.एल.-2बी को निकासी दी जायेगी। इस हेतु आनलाइन आयात परमिट जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निर्गत किया जाएगा तथा विलम्ब की दशा में उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा अगले 03 कार्य दिवस में निर्गत किया जाएगा

(6) जिले में स्थित समस्त फुटकर अनुज्ञापियों/बार/रेस्टोरेंट, क्लब एवं होटल बार अनुज्ञापन विदेशों से आयातित मदिरा की निकासी जिला के एफ.एल.-2/2बी से प्राप्त करेंगे। एफ.एल.-9/9ए अनुज्ञापनों को विदेशों से आयातित मदिरा की आपूर्ति पूर्व की भाँति एफ.एल.-2ए अनुज्ञापन से की जायेगी।

8- भांग

भांग की फुटकर दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की वार्षिक लाइसेंस फीस के समान यथावत रखा जाता है।

9- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का सृजन

वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा,बीयर, माडल शॉप एवं भांग की श्रेणीवार कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक के समतुल्य प्रत्येक श्रेणी में दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

10- नवसृजित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों एवं माडल शाप्स का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस

वर्ष 2021-22 हेतु नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित विदेशी मदिरा, बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस वर्ष 2020-21 की भाँति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में)	न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में)	
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600	13,60,000	2,60,000
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000	4,65,000	1,40,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500	2,25,000	85,000
4.	ग्रामीण	6,600	1,20,000	75,000

11- नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस

वर्ष 2020-21 में नवसृजित मॉडल शाप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस या निर्धारित धनराशि जो अधिक हो निर्धारित किये जाने का प्राविधान था। उपरोक्त प्राविधान से नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस बहुत अधिक निर्धारित होने के कारण व्यवस्थापन में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। अत: उपरोक्त प्राविधान को समाप्त करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष से वृद्धि करते हुये निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये	न्यूनतम रु.65.00 लाख।
2.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रूपये 22.00 लाख।

प्रतिभूति धनराशि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की भॉति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2020-21 हेतु रु.2,00,000 प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2021-22 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

12- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण

वर्ष 2020-21 में कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण माह अप्रैल-20, मई-20 एवं जून-20 में फुटकर दुकानों में देशी मदिरा के एम.जी.क्यू. के अनिवार्य उठान एवं विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शाप में गतवर्ष के त्रैमास के समतुल्य उठान की शर्तों में शिथिलता प्रदान की

गई। अत: अप्रैल 2020 से जून 2020 के त्रैमास की अवधि का नवीनीकरण प्रक्रिया की अर्हताओं के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

दुकानों का वर्ष 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) देशी मदिरा एवं भांग की ऐसी दुकानें जिनके द्वारा माह जुलाई-2020 से माह मार्च-2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल एम.जी.क्यू. से अधिक की निकासी (बकाया निकासी जिसके समतुल्य कुल प्रतिफल शुल्क जमा किया गया हो, को सम्मिलित करते हुये) ली जायेगी, विदेशी मदिरा की ऐसी दुकाने जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 से माह मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी और ऐसी माडल शॉप, जिनके द्वारा माह जुलाई, 2020 से माह मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु मात्र विदेशी मदिरा से संबंधित निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य की निकासी से अधिक निकासी ली जायेगी, वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण के लिये अंतिम रूप से अर्ह होंगी। बीयर की वर्ष 2020-21 में व्यवस्थित समस्त दुकानें नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अर्ह होंगी।

(4) नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर भी देना होगा।

(5) अपनी दुकान को वर्ष 2020-21 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

(6) वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

13- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों और माडल शॉप के वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जिला के जिला कलेक्टर, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जिला की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जिला की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जिला की वेबसाइट, ई-लाटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप आबकारी नीति के निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 08.01.2021 का **संलग्नक-3** है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2020-21 की भाँति निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः-

क्र.सं.	फुटकर दुकान का प्रकार	आवेदन की प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)
1.	देशी मदिरा	20,000
2.	विदेशी मदिरा	20,000
3.	बीयर	20,000
4.	मॉडल शॉप्स	30,000
5.	भांग	6,000

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 15 मार्च, 2021 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2021 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु जमा बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा।

14- नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा फुटकर दुकानों के नवीनीकरण फीस में वृद्धि करते हुये एवं विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप एवं भांग की दुकानों की गत वर्ष की निर्धारित नवीनीकरण फीस को यथावत रखते हुये वर्ष 2021-22 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	निकाय	नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान (रुपये में)				
		देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	मॉडल शॉप्स	भांग
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	95,000	95,000	70,000	1,00,000	6,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000	85,000	60,000	90,000	6,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	65,000	40,000	65,000	6,000

4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	35,000	20,000	50,000	6,000

15- ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

(क) नवीनीकरण से अवशेष देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भॉग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप का वर्ष 2021-22 हेतु व्यस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रथम चरण की ई-लाटरी (नवीनीकरण से अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस पर होगी। वर्ष 2020-21 में ई-लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित न होने पर उसे दो बराबर भागों में विभक्त कर दोनों दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के अगले चरण में कराये जाने का प्राविधान था। उक्त के क्रम में व्यवस्थापन एवं उसके पश्चात अवस्थिति निर्धारण में उत्पन्न कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त प्राविधान को समाप्त किया जाता है।

राजस्व एवं व्यवस्थापन **हित में प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात यथावश्यकता तदनुसार प्रत्येक चरण हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर एवं एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस निर्धारण के संबंध में पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।**

गत वर्ष की भॉति वर्ष 2021-22 में लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी/ई-टेण्डर हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियॉ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) व्यवस्थापन के चतुर्थ चरण के पश्चात कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ग) नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2020-21 की व्यवस्था को यथावत रखा गया है।

(ङ) दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में 2020-21 में लागू व्यवस्था को यथावत रखा गया है।

(च) प्रतिभूति/ प्रतिभूति के अंतर को जमा करने की वर्ष 2020-21 की व्यवस्था को यथावत रखा गया है।

(छ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-

(1) वर्ष 2021-22 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि से अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2020 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2020-21 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण

वर्ष 2020-21 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2021-22 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भॉति अनुमन्य किया गया है।

वर्तमान वर्ष 2020-21 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2021-22 हेतु नवीनीकृत किया जायेगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2020-21 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ-पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा

जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्षमें जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

17- देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रियाः-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा,विदेशी मदिरा, और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय,एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत जमा न करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2020-21 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

18- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) की प्रासेसिंग फीस

गत वर्ष की भॉति 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रुपया 1,00,000/- निर्धारित की जाती है।

19- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

गतवर्ष की भॉति वर्ष 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों(सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 90,000/- निर्धारित की जाती है।

20- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

वर्ष 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

गत वर्ष की भाँति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

21- थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(1) थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2020-21 की लाइसेंस फीस में वृद्धि करते हुये 2021-22 हेतु थोक अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहाँ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2021-22 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशाम्बी	8,11,000
2	सी.एल.-2	अमेठी, श्रावस्ती	11,55,000
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	23,11,000
4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	30,25,000
5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	23,60,000
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	17,60,000
7	एफ.एल.-2बी	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर एवं शामली।	4,75,000
8	एफ.एल.-2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	8,35,000
9	एफ.एल.-2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	12,00,000

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

22- <u>अन्य</u>

(1) वर्ष 2019-20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे यथावत् बनाये रखा गया है।

(2) **अवशेष स्टाक का निस्तारणः-**

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2021 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी। अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। ऐसे अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा घोषित वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के प्रस्तर-2.15.2 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

23- फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व का अंतरण

किसी भी जिले की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर दुकान और माडल शॉप द्वारा अपनी दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी के 20 प्रतिशत से अनधिक अंश को संबंधित जिले की उसी श्रेणी की किसी अन्य दुकान या दुकानों को आपसी सहमति से तदनुसार जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरित कराया जा सकेगा। इस हेतु स्थानांतरण शुल्क देशी मदिरा के संबंध में रूपया 6/- प्रति ब.ली. तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकान एवं माडल शाप के संबंध में स्थानांतरित होने वाले राजस्व का 5 प्रतिशत होगा। किसी भी दुकान द्वारा अपने निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक के समतुल्य का स्थानांतरण प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। जिस दुकान से एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व स्थानांतरित होगा उस दुकान पर समतुल्य निकासी ली गयी होना माना जायेगा परन्तु एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का स्थानांतरण प्राप्त करने वाली दुकान हेतु निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. अथवा निर्धारित त्रैमासिक राजस्व के समतुल्य निकासी में स्थानांतरित एम.जी.क्यू. अथवा राजस्व का समायोजन नहीं किया जायेगा।

24- वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,500/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी थी। समुद्रपार आयातित मदिरा की एम.आर.पी. में कमी होने एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उच्च गुणवत्ता स्काच श्रेणी को समतुल्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य किया गया है।

25- आबकारी की फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के दौरान तकनीकी कारणों से एक से अधिक बार जमा कर दी गयीं धनराशियों की वापसी के संबंध में आनलाइन सुविधा विकसित की जाएगी।

26- उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (यथा संशोधित) के नियम 5(9) में यह प्राविधानित है कि "किसी अन्य जिले की सीमा के पॉच किलोमीटर के भीतर, सिवाय उसी दशा के, जब दोनों जिलों के कलेक्टर सहमति दे दें, मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। यदि सहमति देने में विफल हों तो मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा"

उक्त प्राविधान को इस शर्त के साथ समाप्त किया गया है कि दो जिलों के बीच विवाद की किसी स्थिति में मामला आबकारी आयुक्त को निर्दिष्ट किया जायेगा, उक्त संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

27- गत वर्षों में स्थानीय निकायों के परिसीमन एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दुकानों को हटाने के कारण दुकानों के पुनर्स्थापित होने की दशा में दुकानों की अवस्थिति एवं वास्तविक स्थिति में अंतर हो गया है। उक्त विसंगति को दूर करने हेतु दुकानों की (बिना वास्तविक स्थल के परिवर्तन के) नाम में परिवर्तन की आवश्यकता है। अत: नवीनीकृत होने वाली दुकानों के नाम परिवर्तन करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

28- निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस

अधिसूचना संख्या: 838/तेरह-2010-25/2010, दिनांक 08.04.2010 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदेश सीमा के अन्दर मदिरा की फुटकर बिक्री की सीमा निर्धारित की गई है। पृथक से किसी व्यक्ति निजी प्रयोग हेतु मदिरा रखने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अत: वर्ष 2021-22 में निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु लाइसेंस दिया जाएगा। मदिरा की मात्रा एवं शर्तो का निर्धारण आबकारी नीति के निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 08.01.2021 के संलग्नक-5 के अनुसार किया जाएगा। इस लाइसेंस हेतु प्रत्येक वर्ष रूपया 12,000/- लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि रूपया 51,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड (Pledged) सावधि जमा रसीद के रूप् में देय होगी।

29- ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली

सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप्स और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों, ब्राण्ड पंजीकरण/लेबुल अनुमोदन के नवीनीकरण/नवीन स्वीकृति तथा थोक भांग की आपूर्ति की व्यवस्था की समय–सारणीः–

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1	थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण आवदेन प्राप्त करने की अवधि	25.01.2021 (प्रातः 11:00 बजे) से अग्रिम आदेशों तक
2	थोक/बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीन स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने की अवधि	25.01.2021 (प्रातः 11:00 बजे) से अग्रिम आदेशों तक
3	भांग की थोक अपूर्ति हेतु ई–टेण्डर प्राप्त करने की अवधि	10.02.2021 (प्रातः 11:00 बजे) से 20.02.2021 (मध्यान्ह 12:00 बजे तक)
4	भांग की थोक अपूर्ति हेतु प्राप्त ई–टेण्डरों की तकनीकी बिड खोलने की तिथि	20.02.2021 (अपरान्ह 2:00) बजे
5	भांग की थोक आपूर्ति हेतु प्राप्त ई–टेण्डरों की वित्तीय बिड खोलने की तिथि	20.02.2021 (अपरान्ह 6:00) बजे

मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय–सारणी

क्र. स.	विवरण	दिनांक
1	समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स की सूची, सम्बन्धित देयताओं एवं आवश्यक अर्हताओं के विवरण के साथ विभागीय वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में सूक्ष्म विज्ञप्ति का प्रकाशन और जनपद की वेब साइट पर विज्ञप्ति का प्रकाशन।	13.01.2021
2	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानों का वर्ष 2021–22 का डेटा भरने एवं नवीनीकरण हेतु दुकानों को लॉक करने की अन्तिम तिथि	13.01.2021 को सायं 5:00 बजे तक
3	नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रारम्भ	15.01.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
4	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	22.01.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक
5	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अन्दर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये सम्बन्धित इच्छुक अनुज्ञापी को सम्पूर्ण नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/वार्षिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत की धनराशि 03 कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने का निर्देश दिये जाने की अंतिम तिथि	25.01.2021 को सायं 5:00 बजे तक
6	नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशियां जमा करने की अन्तिम तिथि (नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त)	29.01.2021 सायं 5:00 बजे तक
7	अंतिम रुप से नवीनीकृत दुकानों की मार्किंग (जिला आबकारी अधिकारी द्वारा)	30.01.2021 सांय 5:00 बजे से 30.01.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक

ई–लाटरी हेतु समय–सारणीः–प्रदेश की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप के अनुज्ञापनों के वर्ष 2021–22 के ई–लाटरी से व्यवस्थापन हेतु विभिन्न चरणों की समय–सारणी :–

क्र. सं.	प्रथम चरण	तिथि
1	ई–लाटरी हेतु मार्किंग की तिथि व समय	31.01.2021 को सायं 5:00 बजे तक
2	ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	03.02.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
3	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	09.02.2021 सायं 5:00 बजे तक
4	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	12.02.2021 को सांय 5:00 बजे तक

5	प्रथम चरण की ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	16.02.2021 को प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
6	प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि	19.02.2021 को सायं 5:00 बजे तक

क्र. सं.	**द्वितीय चरण**	
1	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु दुकानों का डेटा परिवर्तित किया जाना तथा मार्किंग की तिथि व समय	20.02.2021 को सायं 5:00 बजे तक
2	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय	23.02.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे से
3	द्वितीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	26.02.2021 को सांय 5.00 बजे तक
4	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	27.02.2021 को सायं 5:00 तक
5	द्वितीय चरण की ई–लाटरी की तिथि व समय एवंस्थल	02.03.2021 कोप्रातः 12:30 बजे से, समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर
6	द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय	05.03.2021 कोसांय 5:00 बजे तक

नोट :–1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2– उपरोक्त विवरण तथा वर्ष 2021–2022 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट www. upexcise.in पर देखा जा सकता है।

3– मदिरा एवं भॉग की फुटकर दुकानों का ई–नवीनीकरण एवं ई–लाटरी विभागीय वेबसाइट www.upexcisee lottery.gov.in पर सम्पन्न करायी जायेगी।

(पी0गुरु प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।